राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिका एवं मजिस्ट्रेट, रूपनगढ़ (अजमेर)

राजस्व वाद संख्या 60/2016 दायर दिनांकः–19.05.2016

पीठासीन अधिकारी–भंवरलाल जनागल आर.ए.एस.

1. गोपाल पुत्र बालूराम
2. प्रेमराज पुत्र बालूराम

सर्वजाति माली, सर्वनिवासीगण ग्राम करकेड़ी तह0 रूपनगढ़ जिला अजमेर

––––वादीगण

बनाम

1. बालूराम पुत्र घीसाराम
2. हेमराज पुत्र बालूराम
3. देवाराम पुत्र घीसाराम
4. श्रीमंती प्रेमदेवी पत्नी राजेन्द्र प्रसाद
5. श्रीमती लक्ष्मीदेवी पत्नी सूर्यप्रकाश
6. श्रीमती रेखा पत्नी हेमराज माली

सर्वजाति माली, सर्वनिवासीगण ग्राम करकेड़ी तह. रूपनगढ जिला अजमेर

7. प्रेमसुख पुत्र मोतीदास साधू जाति साध निवासी करकेड़ी तह. रूपनगढ जिला अजमेर
8. राज्य सरकार जरिये तहसीलदार रूपनगढ जिला अजमेर
9. उप पंजीयक रूपनगढ, तहसील रूपनगढ

––प्रतिवादीगण

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88, 53, 188 राज. टिनेन्सी एक्ट

निर्णय

दिनांक 29.08.2022

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम करकेड़ी के ख0न0 514 रकबा 04 बिस्वा, ख0न0 515 रकबा 09–17 बीघा, ख0न0 543 रकबा 11–11 बीघा, ख0न0 542 रकबा 05 बिस्वा की भूमि व चाह पैतृक कृषि भूमि है जो वादीगण के दादा व प्रतिवादी संख्या 01 के पिता तथा प्रतिवादी संख्या 02 के दादा घीसाराम पुत्र बलदेव माली की खातेदारी की है। बन्दोबस्त में पर्चा व एकीकरण में पासबुक वादीगण के दादा घीसाराम को मिली थी। वाद वर्णित चाह व भूमि में वादीगण का प्रत्येक का 1/12 हिस्सा व प्रतिवादी संख्या 01 का 1/12 हिस्सा तथा प्रतिवादी संख्या 02 का 1/12 हिस्सा है मगर राजस्व रिकार्ड में वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 02 के पिता बालूराम के नाम 1/3 हिस्सा दर्ज हो रखा है। वादीगण का जन्म से ही इस पैतृक कृषि भूमि में बालूराम के 1/3 हिस्से में वादीगण का प्रत्येक का 1/12 हिस्सा है। वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 02 ने अपनी निजी कमाई से नंदाराम से उसके जीवनकाल में ख0न0 514 रकबा 04 बिस्वा, ख0न0 515 रकबा 09–17 बीघा में उसके 1/3 हिस्से की भूमि वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 02 की माता सोनकी के नाम व ख0न0 543 रकबा 11–11 बीघा में 149/462 हिस्से की भूमि तथा ख0न0 542 चाह में 1/3 हिस्सा खरीद कर लिया था। नंदाराम ने अपना 5/462 हिस्सा ख0न0 543 में से प्रतिवादी प्रेमसुख को विक्रय कर दिया था। नंदाराम का अविवाहित [illegible] व हिस्सा नहीं रहा था तथा नंदाराम नाऔलाद फौत हो गया था। वादीगण के भाई हेम[illegible] ने [illegible]–कपट करके उनकी माता सोनकी से पॉवर आफ अर्टोनी लेकर पॉवर आफ अटोर्नी के जरिये सोनकी [illegible] हिस्से की भूमि अपनी पत्नी रेखा के नाम रजिस्ट्री कराके व राजस्व रिकार्ड में सोनकी का हिस्सा अपनी पत्नी हेमराज के नाम दर्ज करवा लिया। राजस्व रिकार्ड में ख0न0 514, 515 में 1/3 हिस्सा [illegible] 543 में 149/462 तथा ख0न0 542 में 1/3 हिस्सा रेखादेवी के नाम दर्ज है। प्रतिवादी देवाराम ने ख0न0 514 व ख0न0 515 [illegible]ना 1/3 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 04 व 05 को विक्रय कर दिया तथा राजस्व रिकार्ड में देवाराम के स्थान पर 1/3 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 04 व 05 के नाम दर्ज है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sukha Ram Pindel
Date: 2023.04.12 11:34:15 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
रूपनगढ़ (अजमेर)

ख0न0 543 व ख0न0 542 में प्रतिवादी देवाराम का 1/3 हिस्सा दर्ज है। वादीगण के पिता बालूराम का पैतृक कृषि भूमि में 1/3 हिस्सा दर्ज है व इस 1/3 हिस्से में वादीगण का प्रत्येक का 1/12 हिस्सा निहित है। बालूराम का सिर्फ 1/12 हिस्सा है। प्रतिवादी संख्या 02 हेमराज का 1/12 हिस्सा है वादीगण को प्रतिवादी संख्या 01 बालूराम कई बार धमकी दे चुका है कि वह विवादित आराजी का उसके नाम की 1/3 हिस्सा का विक्रय करेगा व अन्तिम धमकी दिनांक 06.05.2016 को दी कि वह अब विवादित आराजी व चाह जो उसके 1/3 हिस्से नाम दर्ज है, विक्रय करेगा व तुमको जमीन में काश्त नहीं करने दूंगा। वाद कारण दिनांक 06.05.2016 को उस रोज पैदा हुआ जिस रोज प्रतिवादी संख्या 01 ने उसके नाम के 1/3 विवादित हिस्से को बेचने की कोशिश की व वादीगण को काश्त न करने की धमकी दी। उस रोज के बाद वाद कारण दिन प्रतिदिन हो रहा है।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण की तलबी जरिये सम्मन की गई। प्रतिवादीगण के सम्मन तामिलशुदा प्राप्त हुये। प्रतिवादी संख्या 01 से 07 बावजूद सूचना के अनुपरिथत रहने पर उनके विरूद्व एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। प्रतिवादी संख्या 08 (तहसीलदार) की ओर से प्रकरण में जवाब पेश किया गया। प्राप्त जवाब अनुसार ग्राम करकेड़ी की वर्तमान जमाबंदी संवत 2070 से 2073 के खाता संख्या 619 में ख0न0 543 रकबा 11–11 बीघा रेखा पत्नी हेमराज हि0 149/462, देवाराम, बालूराम पि0 घीसाराम हि0 2/3 कौम माली, प्रेमसुख पुत्र मोती दास हि0 5/462 जाति साध सा0देह खातेदार के नाम रिकार्ड में दर्ज है। इसी प्रकार ग्राम करकेड़ी की वर्तमान जमाबंदी संवत 2070 से 2073 के खाता संख्या 241 में ख0न0 514 रकबा 04 बिस्वा, ख0न0 515 रकबा 09–17 बीघा लक्ष्मीदेवी पत्नी सूर्यप्रकाश अजमेरा, प्रेमदेवी पत्नी राजेन्द्र प्रसाद अजमेरा हि0 1/3 हि0ब0 बालूराम पि0 घीसाराम हि0 1/3 रेखादेवी पत्नी हेमराज हि0 1/3 कौम माली सा0देह खातेदार के नाम दर्ज है। प्रकरण में किसी प्रकार का राजहित प्रभावित नहीं होना जाहिर किया है। जवाब उपरान्त प्रकरण में तनकीयात कायम की जाकर स्पष्ट की गई, साक्ष्य हेतु शपथ–पत्र अर्न्तगत आदेश 18 नियम 04 जाप्ता दिवानी पेश किये गये। वकीलवादी द्वारा लिखित बहस पेश की गई। बहस उपरान्त प्रकरण में प्राथमिक डिक्री व निर्णय पारित किया गया। निर्णय की पालना में तहसीलदार रूपनगढ़ द्वारा कमिश्नरी रिपोर्ट तैयार कर पेश की गयी। कमिश्नरी रिपोर्ट पर वकील वादी की बहस सुनी गयी।

हमने पत्रावली का अध्ययन, अवलोकन किया व बहस पर मनन किया। तद्नुसार प्रकरण में अंतिम डिक्री जारी की जाकर वादी संख्या 1 लगायत 2 व प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 7 के मध्य रिकॉर्ड में निम्नानुसार अंकन करने के आदेश दिये जाते है–

ग्राम–करकेड़ी

क0 सं0	नाम खातेदार	ख0 न0	रकबा (है0)	किस्म
1	प्रेमसुख पुत्र मोतीदास जाति साद सा0देह खातेदार	543/1	0.0202	गै0मु0बाड़ा
2	रेखा देवी पत्नि हेमराज जाति माली सा0देह खातेदार	543/2	0.5779	चाही 1
3	बालुराम पुत्र घीसाराम जाति माली सा0 देह खातेदार	543/3 543/4	0.4024 0.0242	चाही 1 गै0मु0 बाड़ा
		किता 2	0.4266	
4	गोपाल पुत्र बालुराम जाति माली सा0देह खातेदार	[illegible] 543[illegible]	0.0123 0.0730	गै0 मु0 बाड़ा बारानी 2
		[illegible] 2	0.0853	
5	प्रेमराज पुत्र बालुराम जाति माली सा0 देह खातेदार	[illegible]/6 543/10	0.0123 0.0730	गै0 मु0 बाड़ा बारानी 2– 0.0174 बारानी ए– 0.0556
		किता 2	0.0853	

Signature Not Verified
Digitally signed by Sukha Ram Pindel
Date: 2023.04.12 11:34:15 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रूपनगढ़ (अजमेर)

उपखण्ड अधिकारी (अजमेर)

6	देवाराम पुत्र घीसाराम जाति माली सा0 देह खातेदार	543/5 543/11	0.0388 0.5585	गै0 मु0 बाड़ा बारानी ए – 0.1062 चाही 2 – 0.4516 बारानी 2 – 0.0007
		किता 2	0.5973	
7	सामलाती भूमि रेखा देवी पत्नि हेमराज हि0 1/3, बालुराम पुत्र घीसाराम हि0 5/21, गोपाल पुत्र बालुराम हि0 1/21, प्रेमराज पुत्र बालुराम हि0 1/21, देवाराम पुत्र घीसाराम हि0 1/3 सर्वजाति माली सा0 देह खातेदार	543/8 543/12 542	0.0364 0.0397 0.0404	गै0मु0बाड़ा– 0.0054 बारानी 2–0.0310 बारानी 2 गै0मु0चाह
8	गोपाल पुत्र बालुराम जाति माली सा0देह खातेदार	515/7	0.0651	बारानी ए
9	प्रेमराज पुत्र बालुराम जाति माली सा0 देह खातेदार	515/10	0.0651	बारानी ए
10	प्रेम देवी पत्नि राजेन्द्र प्रसाद हि0 1/2, लक्ष्मी देवी पत्नि सूर्यप्रकाश हि0 1/2 जाति माली सा0 देह खातेदार	515/3	0.4560	बारानी ए
11	बालुराम पुत्र घीसाराम जाति माली सा0 देह खातेदार	515/5	0.3258	बारानी ए
12	रेखा देवी पत्नि हेमराज जाति माली सा0 देह खातेदार	515/4 514	0.4560 0.0323	बारानी ए–0.0191 बं 1–0.2346, बं2–0.2023 गै0मु0चाह
13	सामलाती भूमि गोपाल पुत्र बालुराम हि0 1/21, प्रेमराज पुत्र बालुराम हि0 1/21, प्रेम देवी पत्नि राजेन्द्र प्रसाद हि0 1/6, लक्ष्मी देवी पत्नि सूर्यप्रकाश हि0 1/6, बालुराम पुत्र घीसाराम हि0 5/21, रेखा देवी पत्नि हेमराज हि0 1/3	515/2 515/6	0.1957 0.0300	बरानी ए बारानी ए

कमिश्नरी रिपोर्ट के साथ संलग्न नक्शा ट्रेस इस अंतिम डिक्री का भाग होगा। प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 7, उनके परिवारजन, सगे–संबंधी आदि को इस आशय की स्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है कि वांदी के हिस्से में आयी भूमि के उपयोग, उपभोग में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न नहीं करे।

निर्णय लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया व शामिल पत्रावली किया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sukha Ram Pindel
Date: 2023.04.12 11:34:15 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रूपनगढ़ (अजमेर)

उपखण्ड अधिकारी
रूपनगढ़ (अजमेर)